प्रकरण संख्या 221/2024
अनवान सरकार बनाम लखविन्द्र सिंह

.12.25

पत्रावली पेश हुई। वकील श्री संजय जनवेजा द्वारा अप्रार्थी लखविन्द्र सिंह की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर वकील अप्रार्थी को सुना जा चुका है। वकील अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किए गये हैं कि प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से वाके चक 10 एफ बड़ा तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 126/37 के मुरब्बा नम्बर 3 व 40 की कुल 2.597 है० नहरी बारानी कृषि भूमि दर्ज कागजात माल है। जिसका प्रार्थी अभिलिखित खातेदार है। उक्त कुल 2.597 है० कृषि भूमि में से चक 10 एफ बड़ा के खाता संख्या 126/37 के मुरब्बा नम्बर 40 के किला नम्बर 1 से 0.0455 है० भूमि में प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा निर्माण किया हुआ है। प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 यह भी निवेदन करता है कि प्रार्थी/प्रतिवादी में संख्या 1 द्वारा वादग्रस्त भूमि का वाणिज्यक संपरिवर्तन करवाने के लिए भू संपरिवर्तन हेतु ऑनलाईन आवेदन किया हुआ है। जिसका आवेदन क्रमांक LC/2025–26/235763 है तथा अग्रिम शुल्क 265/– रू० अखरे दो सौ पैंसठ रू० भी जमा करवाया हुआ है। आवेदन पत्र की फोटो प्रति तथा शुल्क की रसीद की फोटो प्रति संलग्न प्रार्थना पत्र है। प्रार्थी कनवर्जन शुल्क अदा करने के लिए तत्पर है, मगर माननीय न्यायालय में धारा 177 की कार्यवाही विचाराधीन होने के कारण प्रार्थी के कनवर्जन प्रार्थना पत्र पर कोई कार्यवाही नहीं हो पा रही है। धारा 177 का मकसद किसी खातेदार को उसकी कृषि भूमि से बेदखल करना नहीं है, बल्कि कृषि भूमि का बिना संपरिवर्तन के अकृषि इस्तेमाल से रोकना है। जैसा कि उपर वर्णित है प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 ने अपनी भूमि को संपरिवर्तन करवाने के लिए सक्षम कार्यालय में आवेदन किया हुआ है। प्रार्थी उक्त भूमि का शीघ्रातिशीघ्र भू संपरिवर्तन करवाने के लिए वचनबद्ध रहेगा। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि न्यायहित में वाद वादी निरस्त किया जाकर प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 को अपनी उक्त भूमि का भू संपरिवर्तन करवाने का अवसर प्रदान किया जावे।

वकील अप्रार्थीगण द्वारा बहस में यह भी कथन किया गया कि प्रार्थीगण द्वारा कानून की कोई अवज्ञा नहीं की गई है तथा प्रार्थीगण अपनी भूमि को संपरिवर्तन करवाने के लिए तत्पर, इच्छुक व प्रयासरत है। माननीय न्यायालय से प्रकरण निरस्त होने पर शीघ्र ही उक्त भूमि का भू संपरिवर्तन करवा लिया जावेगा। जिसके लिए प्रार्थीगण वचनबद्ध हैं। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त अनवान की पत्रावली को पेशी में लिया जाकर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाद वादी इसी स्तर पर निरस्त फरमाया जावे ताकि प्रार्थीगण अपनी भूमि का संपरिवर्तन करवा सके। वकील प्रार्थीगण द्वारा बहस के समर्थन में प्रार्थीगण द्वारा नगर विकास न्यास श्रीगंगानगर में भूमि के संपरिवर्तन किये जाने बाबत प्रस्तुत आवदेन की प्रति, भूमि के संपरिवर्तन किये जाने बाबत जमा राशि 265/– रूपये की रसीद क्रमांक संख्या LC/2025–26/235763 प्रस्तुत की गई।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। अप्रार्थी प्रश्नगत भूमि को संपरिवर्तन करवाकर अकृषि कार्य में उपयोग करना चाहता हैं। जब तक प्रकरण में 177 आर.टी.ए. के तहत कार्यवाही विचाराधीन होती है तब तक नगर विकास न्यास द्वारा संपरिवर्तन नहीं किया जा सकता। धारा 177 आर. टी.ए. का उद्देश्य काश्तकार को बेदखल करना नहीं अपीतु बिना भूमि संपरिवर्तन करवाये एवं राजस्व जमा करवाये कृषि भूमि पर अकृषि कार्य को रोकना है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जा सकता है। अतः न्यायहित में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 आर.टी.ए. इस